न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 37 / 2011
प्रविष्टि दिनांक 24–10–2011

सुगनलाल पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी मालेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0।
–..... प्रार्थी

बनाम

1–भेंरूलाल पुत्र भुवाना जाति भील निवासी मालेडा तहसील देवली जिला टोंक।
2–उपखण्ड अधिकारी देवली भू–आवण्टन सलाहकार समिति

–प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवण्टन नियम 1970
विरूद्व आवण्टन आदेश प्रतिपक्षी नं01 दि0 23.11.1975

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक, प्रार्थी
(2) श्री महेश शर्मा, अभिभाषक प्रतिपक्षी सं0 1

निर्णय

दिनांक 20.10.2016

1– प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05–01–1983 को प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 895 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम मालेडा तहसील देवली का आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के आवण्टन को विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी विपक्षीगण जरिए नोटिस की गई। आवण्टन पत्रावली मॅगवाई गई। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्र, नकल जमाबंदी सम्वत 2046, 2064 नकल खसरा गिरदावरी सं0 2040–43, नकल विक्रय पत्र संलग्न की है। अभिभाषक उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आवण्टन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की है क्योंकि विवादित भूमि ख0नं0 895 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा जो प्रतिपक्षी सं0 1 को आवण्टन की गई है, पर प्रार्थी का बरसो से लेकर आज तक लगातार कब्जा रहा है, प्रतिपक्षी सं0 1 ने आज तक उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है, प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि से विधिवत नोटिस देकर वेदखल नहीं किया गया है तथा प्रार्थी को बेदखल करने का समय भी समाप्त हो चुका है। आवण्टन करने से पूर्व सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की गई, पटवारी हल्का ने गलत रूप से प्रतिपक्षी सं01 के पक्ष में रिपोर्ट दी है, उक्त भूमि मौके पर आवण्टन के लिए रिक्त नहीं थी बल्कि प्रार्थी का उस पर कब्जा काश्त था, प्रतिपक्षी सं0 1 ने चुपचाप आवण्टन करवाकर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज करवाली और उसने दि0 7.11.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

86 को रूबरू गवाहान उक्त भूमि 16,000/–रू0 प्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी को बेचान करदी जिससे प्रतिपक्षी सं0 1 का कब्जा काश्त होना सिद्व नहीं है। प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है, प्रतिपक्षी सं0 1 द्वारा आवण्टन शर्तो की पालना नहीं की, आवण्टन राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करके एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाकर बिना कब्जे आवण्टन कराया है तथा उसने समिति के समक्ष मिथ्या शपथ पत्र पेश कर घोषणा की है, उक्त आवण्टन छल–कपट की परिभाषा में आता है। इसलिए प्रतिपक्षी नं01 का आवण्टन निरस्त किया जावे।

4– विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी सं01 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिपक्षी सं0 1 द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र भरने व पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त ही आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा समिति की राय से प्रतिपक्षी सं0 1 को निमयानुसार भूमि का आवण्टन किया गया, प्रतिपक्षी सं0 1 को विधिवत रूप से भूमि का कब्जा दिया गया है, सुपुर्दगीनामा आवण्टन पत्रावली में संलग्न है, आवण्टन के लगभग 27 वर्ष पश्चात आवण्टन निरस्त कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। आवेदन लिमिटेशन के बाहर होने से आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नही होने से निरस्त किया जाकर प्रतिपक्षी नं0 1 को किया गया आवण्टन बहाल रखा जावे।

5– अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05–01–1983 को प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 895 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मालेडा का आवण्टन करने का आदेश पारित किया गया है प्रार्थी ने इस आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि विवादित भूमि पर कदीमी से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, सार्वजनिक प्रोकलोमेशन जारी नहीं किया गया, मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की गई, भूमि आवण्टन योग्य नहीं थी, आवण्टन के समय भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था, वर्तमान में भी है, उसके बावजूद भूमि प्रतिपक्षी सं0 1 को आवण्टित करदी गई एवं प्रतिपक्षी द्वारा आवण्टन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है, आवण्टन छल कपट व चुपचाप कराया गया है ये तथ्य प्रार्थी सिद्व नहीं कर पाये है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन प्रार्थना भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 05–01–1983 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी, अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवण्टन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। राजस्व रिकार्ड एंव पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिपक्षी भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता हैं। भूमि आवण्टन से पूर्व जहॉ रिक्त भूमि की सूची एंव उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन राजस्व एवं भू सुधार विशेष अभियान में मजमेआम में किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विकय विलेख प्रमाणित व पंजीबद्व नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने आवण्टन को छल–कपट एवं चुपचाप करवाना बताया है किन्तु वे इसे सिद्व नही कर सके। आवण्टन के विरूद्व लगभग 27 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो सारहीन है। अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किये गये उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं01 का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 20.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner